भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(डीएस-प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110017

सं0 820-1/2006-एलआर खंड (II) दिनांक : 25 जनवरी, 2010

विषय : **इंटरनेट सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिनांक 24 अगस्त, 2007 के दिशा- निर्देशों में संशोधन ।**

इंटरनेट सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिनांक 24 अगस्त, 2007 के दिशा-निर्देश के पैरा-35, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में या तार सेवा का समुचित संचालन हेतु किसी भी समय इन दिशा-निर्देशों की शर्तों में आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है, के अंतर्गत लाइसेंसप्रदाता स्वयं को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्रमशः पैरा-9 एवं 23 को तत्काल प्रभाव से उक्त दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित पैराओं से प्रतिस्थापित करते हुए आशोधन करता है, नामतः

9. लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व श्रेणी-क इंटरनेट सेवा लाइसेंस के लिए 30 लाख रु0 तथा श्रेणी-ख इंटरनेट सेवा लाइसेंस के लिए 15 लाख रु0 के एकबारगी प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा।

23. लाइसेंस की वैधता :

i. लाइसेंस करार की वैधता अवधि प्रारंभ में 20 वर्ष की होगी, बशर्ते कि किन्हीं अन्य कारणों से यह करार समाप्त न हो जाए।

ii. माइग्रेशन दिनांक 24.8.2007 के दिशा-निर्देशों के तहत आईएसपी लाइसेंस की वैधता अवधि प्रारंभतः 20 वर्ष की होगी, बशर्ते कि किन्हीं अन्य कारणों से समाप्त न हो जाए।

iii. लाइसेंस प्रदाता लाइसेंस की अवधि, प्रत्येक अवसर पर लाइसेंसधारक के अनुरोध पर, यदि अनुरोध श्रेणी "क" तथा श्रेणी "ख" इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए क्रमशः 10 लाख रु0 तथा 5 लाख रु0 की राशि का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस अवधि के उपांतिम वर्ष के दौरान किया जाता है तथा लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर तय की गई शर्तों के आधार पर, यदि उचित समझा जाए, 5 वर्ष बढ़ा सकता है।

iv. दिनांक 24.08.2007 के दिशा-निर्देशों के तहत जारी आईएसपी लाइसेंसों की अवधि में भी विस्तार की अनुमति उपर्युक्त पैरा 23 (iii) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

v. दिनांक 24.8.2007 के पूर्व इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के द्वारा धारित इंटरनेट लाइसेंस का दिनांक 24.08.2007 के दिशा-निर्देशों के उपबंधों के तहत बिना माइग्रेशन के नवीकरण नहीं किया जाएगा। तथापि, इन लाइसेंसधारकों को दिनांक 24.08.2007 के दिशा-निर्देशों के तहत श्रेणी "क" या श्रेणी "ख" आईएसपी लाइसेंस में, उनकी 15 वर्ष की लाइसेंस अवधि की समाप्ति के कम से कम एक वर्ष पूर्व, माइग्रेट करने की अनुमति दी जा सकती है।

(सुबोध सक्सेना)
निदेशक (डीएस-II)
दूरभाष 011-23372601
फैक्स 011-23359454

प्रति प्रेषित :
अंग्रेजी पाठ के अनुसार ।